भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3403
उत्तर देने की तारीख-16/12/2024

समग्र शिक्षा अभियान के तहत निधि जारी नहीं करना

†3403. **श्री आनंद भदौरिया**:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत राज्य सरकारों के हिस्से को इस आधार पर जारी नहीं किया है कि इन राज्यों ने प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम एसएचआरआई) स्कूलों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं,
(ख) यदि हां, तो राज्यवार और वर्षवार रोकी गई राशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार इन राज्यों को एसएसए के तहत धनराशि जारी करेगी;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए समय-सीमा क्या है; और
(ङ) यदि नहीं, तो पीएम एसएचआरआई स्कूलों के नाम पर इन राज्यों के बच्चों को दंडित करने के क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): वर्ष 2018 में शुरू की गई समग्र शिक्षा योजना स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है। एनईपी 2020 को कार्यान्वित करने हेतु प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई), निपुण भारत हेतु सहायता, सभी स्तरों पर गुणवत्ता और नवाचार, समता और समावेशन, व्यावसायिक शिक्षा, आईसीटी और डिजिटल पहल आदि नई पहलों को समग्र शिक्षा योजना में शामिल करके इसे संशोधित किया गया है और इसे एनईपी 2020 के अनुरूप बनाया गया है।

सितंबर 2022 में एक और पहल, पीएम श्री योजना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करने और अपने आस-पड़ोस के अन्य स्कूलों को मार्गदर्शन प्रदान करने और साथ ही पड़ोस के स्कूलों के लिए बेंचमार्क स्कूल तैयार करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। पीएम-श्री समग्र शिक्षा के प्रयासों की अनुपूरक है। ये स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति

2020 के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करते हैं और समय के साथ अनुकरणीय स्कूल के रूप में उभरते हैं।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को पीएम श्री योजना के क्रियान्वयन हेतु स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएंडएल), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करना अपेक्षित है। अब तक, 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से 33 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल को अभी इसमें शामिल किया जाना है।

(ग) से (ङ): समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत निधियां वित्त मंत्रालय द्वारा विनिर्धारित कतिपय शर्तों को पूरा करने जैसे कि व्यय, समतुल्य राज्य हिस्से की प्राप्ति, संपरीक्षित लेखाओं, संचयी राज्य भाग के विवरण, बकाया अग्रिमों संबंधी विवरण, अद्यतन व्यय विवरण, वित्तीय प्रबंधन और खरीद संबंधी मैनुअल में निर्धारित जानकारी और विगत वर्ष के संपरीक्षित उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर जारी की जाती हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए केंद्रीय भाग का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

****

अनुलग्नक

माननीय संसद सदस्य श्री आनंद भदौरिया द्वारा 'समग्र शिक्षा अभियान के तहत निधि जारी नहीं करना' के संबंध में दिनांक 16.12.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3403 के भाग (ग) से भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

विगत तीन वर्षों के दौरान समग्र शिक्षा के संबंध में जारी वास्तविक केन्द्रीय भाग का राज्य-वार ब्यौरा:

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2021-22	2022-23	2023-24
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	31.52	56.51	55.28
2	आंध्र प्रदेश	683.01	1503.59	1289.41
3	अरुणाचल प्रदेश	279.96	252.29	475.04
4	असम	1561.56	2080.86	1810.48
5	बिहार	3406.08	3554.59	4241.73
6	चंडीगढ़	108.04	109.79	116.36
7	छतीसगढ़	332.37	828.00	776.59
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	20.92	64.67	41.30
9	दिल्ली	145.88	221.94	146.09
10	गोवा	11.02	29.86	18.66
11	गुजरात	893.76	1321.25	1132.53
12	हरियाणा	517.09	670.21	578.80
13	हिमाचल प्रदेश	319.10	551.60	485.97
14	जम्मू और कश्मीर	873.99	364.97	865.44
15	झारखंड	858.97	1154.52	1104.93
16	कर्नाटक	474.52	861.52	828.09
17	केरल	225.13	178.16	141.66
18	लद्दाख	57.18	14.89	52.23
19	लक्षद्वीप	2.16	4.33	1.00
20	मध्य प्रदेश	2292.80	1939.29	2981.51
21	महाराष्ट्र	693.03	900.00	1001.19
22	मणिपुर	182.50	404.76	257.22
23	मेघालय	271.71	375.15	394.18
24	मिजोरम	179.68	142.68	274.14
25	नगालैंड	137.34	281.04	231.25
26	ओडिशा	1238.07	1836.67	1236.61
27	पुडुचेरी	13.98	15.28	12.47
28	पंजाब	501.27	605.05	331.12
29	राजस्थान	2405.82	2138.61	3202.89
30	सिक्किम	100.12	107.19	132.61
31	तमिलनाडु	1598.82	2107.23	1876.16
32	तेलंगाना	553.28	1142.51	920.13
33	त्रिपुरा	226.93	286.73	341.33
34	उत्तर प्रदेश	2044.97	3819.75	4276.45
35	उत्तराखंड	320.84	704.39	440.57
36	पश्चिम बंगाल	1309.74	1522.04	311.29
	कुल	**24873.18**	**32151.94**	**32382.70**

****